हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

दशम् सत्र

वीरवार, 3 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **120वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 85वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वित्त(आधिक्य) विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **121वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 86वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

(3) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **22वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री महेश्वर सिंह , सभापति, मानव विकास समिति , (वर्ष 2015-16),** समिति के **32वें मूल प्रतिवेदन** (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2005-06) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 7वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(5) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के **20वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

श्री सुरेश भारद्वाज, "प्रदेश की राजधानी शिमला में Sealed/Restricted Roads हेतु गाड़ियों के परमिट जारी न होने " से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 2 दिसम्बर, 2015 **सचिव ।**

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

दशम् सत्र

वीरवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूचीः

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री इन्द्र सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सिंचाई एवं जन -स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में स्वच्छ पेयजल व सिंचाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाने हेतु विशेष नीति बनाए ।"
2.	श्री रिखी राम कौंडलः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में उपलब्ध सौर ऊर्जा के दोहन हेतु सभी जिलों में सौर ऊर्जा पार्क/सयंत्रों की स्थापना हेतु नीति बनाए ।"
3.	श्री महेश्वर सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न नगर निकायों एवं SADA के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए One Time Settlement की नीति अपनाकर हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर प्रावधान किया जाए ।"
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जो दिनांक 27-8-2015 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर भी चर्चा होगी ।		
	श्री महेन्द्र सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियां व भूमि जो केन्द्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण को दी जा चुकी है और बंजर पड़ी है उसे प्रदेश सरकार वापिस लें ।"

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।

* * * * *